राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहत रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ 9(05)(12-II) सासुपे नियम/सा.न्या.अ.वि/2014-15/1 Y 3&5 जयपुर, दिनांक : 23.02.2019

आदेश

राज्य सरकार ने राजस्थान प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों को राजस्थान सामाजिक सुखा लघु ए**वं** सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, 2019 लागू करने का निर्णय लिया है। इस हेतु नियमों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने पर एतद् द्वारा लागू किये जाने की स्वीकृति जारी की जाती है।

इन नियमों का नाम राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 होगा।

ये नियम दिनांक 01.03.2019 से लागू होंगे।

(सांवर मज़ वर्मी) आयुक्त

क्रमांक:- एफ 9(05)(12-II) सासुपे नियम/सा.न्या.अ.वि/2014-15/14386-986 जयपुर, दिनांक : 23.02.2019 प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि,राजस्थान जयपुर।
- विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि,राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग / ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग / कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 11. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
- 12. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
- 14. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2/नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 15. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
- 16. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
- 17. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
- 18. समस्त उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी।
- 19. एसीपी (पेंशन) / एसीपी (कम्प्यूटर प्रशाखा) मुख्यालय।
- समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान ।
- 21. आदेश पत्रावली !

राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 9 (5)(12-III) / सा.न्या.अ.वि. / 2018-19 / 14 9 87

जयपुर, दिनांक : 23.02.19

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019

राजस्थान राज्य के लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक सम्मान पेंशन की स्वीकृति एवं उसके भुगतान हेतु, महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का नाम राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 है।

(ii) ये नियम दिनांक 01.03.2019 से लागू होंगे।

अध्याय – 1

2. परिमाषाएँ :-

- सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन से अभिप्रेत है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के अधीन स्वीकृत की जाये।
- (ii) लघु कृषक से अभिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य, जो राज्य में प्रमावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार लघु कृषक की श्रेणी में हो।
- (iii) सीमान्त कृषक से अमिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार सीमान्त कृषक की श्रेणी में हो।
- (iv) वृद्धजन कृषक परिवार से अमिप्रेत है कि लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो।
- (v) "मूल निवासी" से अभिप्रेत है जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो
- (vi) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक सम्मान पॅशन नियम, 2019 के अन्तर्गत "आय" की शर्त लागू नहीं होगी।
- (vii) "पेंशन राशि" से अभिप्रेत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक सम्मान पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है जो निम्नानुसार है:— (i) 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 750 प्रति माह (ii) 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 1000 प्रति माह

परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय/निगम, प्राइवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेशंन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या पूर्व में प्राप्त लाभ में से जो भी लाभदायक हो पाने का अधिकारी होगा।

- (viii) "जांच अधिकारी" ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों के लिए संबंधित तहसीलदार/अति. तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, जांच अधिकारी होंगे।
- (ix) "स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी" सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आवेदनों की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आवेदनों की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होगे।
- (x) "पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित कोष/उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी (पेंशन भुगतान अधिकारी)/उप कोषाधिकारी (सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी)/अभिप्रेत है।

- (xi) "जिला पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।
- (xii) "अपील अधिकारी" से अमिप्रेत हैं जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।

,

अध्याय – 2

लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

पात्रता :

लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, जब तक कि नियमों में अन्यथा स्पष्ट एवं विशिष्ट प्रावधान नहीं हो, इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा।

लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी हेतु भूमि धारण प्रमाण-पत्र कृषक द्वारा प्रारूप कृषक पंशन-I (K.P.-I) का भाग II में आवेदन के साथ पूर्ति कर प्रस्तुत किया जावेगा। जो राजस्व विभाग के तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा ऑनलाईन सत्यापित किया जाना होगा।

नियमों में कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी स्वयं या पित या पित या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

इन नियमों में कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्घावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013, के नियमों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हो, इन नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया

आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रक्रिया

- (i) आवेदक को किसी भी ई-मित्र कियोस्क/अटल सेवा केन्द्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप कृषक पेंशन-I (K.P.-I) में www.rajssp.raj.nic.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदक को प्रारूप कृषक पेंशन-I (K.P.-I) का भाग-II में भूमि धारण प्रमाण-पत्र देना होगा। भूमि धारण प्रमाण-पत्र का ऑनलाईन सत्यापन संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा। आवेदक को भामाशाह कमांक एवं आधार क्रमांक उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड क्रमांक में अंकित आवेदक को व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण/वन टाईम पासवर्ड (OTP) के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा। आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किये जाने की सूचना आवेदक द्वारा रिजस्टर्ड कराये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी।
 - (ii) विहित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी के स्तर पर रजिस्टर कृषक पेंशन—II (K.P.-II) के प्रारूप में रिपोर्ट ऑनलाईन सम्बन्धित जांच अधिकारी के लॉगिन—इन पर प्रदर्शित होगी।
 - (iii) जांच अधिकारी उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये भूमि धारण प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों / सूचनाओं के आधार पर आवेदक की जन्म तिथि, आयु अधिवास, निवास स्थान एवं नियमों में वर्णित अन्य पात्रता की जांच करेगा। भूमि धारण प्रमाण-पत्र कृषक पेंशन-I (K.P.-I) का भाग II का सत्यापन करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जायेगा की उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई आवेदन पत्र अस्वीकार ही किया गया था। जांच अधिकारी आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी सिफारिश प्रारूप कृषक पेंशन-I (K.P.-I) के भाग III के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषित करेगा।
 - (iv) जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन—पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा। जांचकर्ता अधिकारी को आवेदन अग्रेषण के 21 दिवस पश्चात एस.एम.एस द्वारा पेंशन प्रकरण जांच पूर्ण करने हेतु सूचित किया जायेगा तथा जांच अवधि समाप्त होने पर आवेदन स्वतः ही सत्यापित होकर स्वीकृत कर्ता अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा जिसकी पात्रता संबंधित समस्त जिम्मेदारी जांच अधिकारी की होगी।
 - (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति सम्बन्धी अनुमोदन प्रारूप कृषक पेंशन—I (K.P.-I) का भाग—IV में जारी कर प्रारूप कृषक पेंशन—III (K.P.-III) में पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान आदेश जारी करेगा। यह पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान का आदेश वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन डिजीटल हस्ताक्षर अथवा आधार आधारित ई—हस्ताक्षर द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी किये जायेगे। पेंशन दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर में आवेदक को उनके रिजस्टर्ड मोबाईल पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचना

प्रेषित की जायेगी। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति आदेश जारी किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक को पेंशन की स्वीकृति नियमानुसार ही जारी की गई है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति जारी करने हेतु यूजर लॉगिन या पासवर्ड का स्वयं उपयोग किया जायेगा तथा पासवर्ड किसी के साथ साझा नही किया जायेगा। यदि यूजर लॉगिन या पासवर्ड का दुरूपयोग होता है तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा। पेंशनर एवं जांच अधिकारी को जारी की जाने वाली हार्डकॉपी ऑनलाईन जारी स्वीकृति के अनुरूप होनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही होना चाहिए। ऑनलाईन जारी स्वीकृति के आदेशों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का है।

पेंशन दावा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से सम्बन्धित कार्य 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना होगा।

(vi) ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने एवं पेंशनर को पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कार्य 30 दिवस की अविध में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना होगा।

जांच अधिकारी, स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित समयाविध में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।

5. पेंशन स्वीकृत :--

- (i) (अ) किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावगुण के आधार पर देय होगी। जिन प्रकरणों में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को पेंशन स्वीकृति हेतु उचित नहीं मानता है उसमें अस्वीकृति का कारण अमिलिखित करते हुये आवेदन अस्वीकृत करना होगा।
 - (ब) स्वीकृतिकर्ता अधिकारी शिकायत की जांच के दौरान अथवा भौतिक सत्यापन के दौरान अथवा स्वप्रेरणा से जांच के दौरान यह पाता है कि यदि कोई पेंशनर नियमानुसार पेंशन हेतु अपात्र है तो वह पेंशन अपात्रता का कारण अभिलिखित करते हुये पेंशन निरस्तीकरण आदेश प्रारूप कृषक पेंशन—I (K.P.-I) के भाग IV में जारी करेगा। उक्त निरस्तीकरण का इन्द्राज ऑनलाईन पोर्टल पर भी तत्काल प्रभाव से किया जायेगा। यदि कोई पेंशनर, पेंशन निरस्तीरण आदेश से असन्तुष्ट है तो वह कभी भी पुनरीक्षण (Review) के लिए आवेदन कर सकता है।
 - (स) यदि बँक खाते की सूचना के गलत अंकन के कारण किसी पेंशनर की पेंशन उसके खाते में जमा नहीं हो पाती है तो उसे अस्थाई रूप से रोका जाये। उसके बाद वह पेंशनर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी अथवा कोषाधिकारी के कार्यालय में जाकर अपने बँक खाते की सूचना को अपडेट करवा सकता है उसके बाद पुनः उसकी पेंशन प्रारंभ कर दी जावे।
 - (द) यदि ई-मित्र केन्द्र में भौतिक सत्यापन के दौरान ई-मित्र संचालक ऑनलाईन पोर्टल में कोई भी कारण अंकित करता है जिससे यह संदेह पैदा हो कि पेंशनर अपात्र है तो भी पेंशन अस्थाई तौर से बन्द की जाये व उसके बाद पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी 15 दिवस में जांच कर बहाली अथवा निरस्तीकरण का आदेश गुवावगुण के आधार पर जारी करेगा।

(ii) सरकार आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन, विहित शर्तों को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन स्वीकृत कर सकेगी।

पेंशन की वैधता :--

- (i) नियमों में वर्णित लघु एवं सीमान्त कृषक की श्रेणी में रहने तक।
- पॅशन का प्रारम्भ :- पंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने की तारीख के सम्बन्धित माह की प्रथम तारीख से पूरे माह के लिये संदेय होगी।

पेंशन की समाप्ति :-

- (i) पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन की अनाहरित रकम व्यपगत हो जाएगी।
- (ii) पेंशनर के राजस्थान के बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, पेंशनर के राजस्थान लौटने पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की तारीख से पेंशन का पुनः संदाय प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की कालावधि के लिए प्रोद्भूत पेंशन की बकाया संदेय नहीं होगी।
- (iii) लघु एव सीमान्त श्रेणी के कृषक पेंशनर की निर्धारित श्रेणी से अधिक भूमि होने पर अर्थात् कृषक की लघु एव सीमान्त श्रेणी के बाहर होने पर पेंशन बंद कर दी जायेगी।

9. पेंशन की बकाया का संदाय :--

- (क) यदि पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरण—वितरण अधिकारी द्वारा आहरित नहीं की जाती है तो कोई बकाया संदेय नहीं होगा तथापि, ऐसे मामलों में पेंशन, सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।
- (ख) ऐसे मामलों में जहां पेंशन की रकम एक वर्ष से कम की कालाविध तक आहरित नहीं की जाती है वहां नियम 8 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारी बकाया के संदाय के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे :--
 - यदि पेंशन की रकम 5 मास तक आहिर्त नहीं की जाये।

सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी

(2) यदि पेंशन की रकम 5 मास से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाये। सम्बन्धित जिले का कलक्टर

P

- 10. अपील अधिकारी :- स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील जिला कलक्टर/या उनका प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो, को की जाएगी। अपील स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की तिथि से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। तथापि, राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कलक्टर द्वारा पारित आदेश को गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित करते हुए पुनर्विलोकित कर सकेगा।
- 11. वार्षिक सत्यापन :— ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च में ग्राम सिवालय व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले कैम्पों में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार / ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण सूची के रूप में विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी / उप—कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। परन्तु पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, पेंशनर की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। संदेय की स्थिति में पेंशन भुगतान अधिकारी पेंशनर को स्वयं देखेगा, उसके / उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर कृषक पेंशन—IV (K.P.- IV) में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जावेगा।

13. कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :--

- (i) जिला कोषागार का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर (जिला पेंशन एवं संवितरण अधिकारी) सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण तथा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगा।
- (ii) उप-कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेगा और अपने आपका समाधान करेगा कि उसके द्वारा स्वीकृत किये गये सभी मामले उप-कोषागार के रजिस्टरों में प्रविष्ट कर दिए गए है और भुगतान नियमित रूप से व यथा समय किए जाते है। वह अपने आपका इससे

भी समाधान करेगा कि उप-कोषागार के रिजस्टरों में सुधार संबंधी प्रविष्टियां जैसे पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु या उसके पते में परिवर्तन, अविलम्ब की जाती है। निरीक्षण के समय पेंशन भुगतान की नमूना जांच भी करनी होगी।

14. सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक) :- उन व्यक्तियों को, जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्विवेवकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्त्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वह वर्णित पेंशन या सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन में से जो भी लामदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

<u>अध्याय – 4</u> सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

- 15.(i) कोषाधिकारी और उप-कोषाधिकारी पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।
 - (ii) कोषाधिकारी या उप—कोषाधिकारी यथा स्थिति पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर द्वारा या बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते/सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जाएगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।
 - (iii) स्वीकृत प्रकरणों में पेंशन सम्बन्धित माह के समाप्त होने के पश्चात पहली तारीख को देय होगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासंभव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से ऑनलाईन स्वीकृति की फोटोयुक्त प्रति लेकर सम्बन्धित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के सक्षम उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।
 - (iv) अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जायेगा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिमावक द्वारा विहित प्रारूप कृषक पेंशन—VIII (K.P.- VIII) में एक बंध—पत्र निष्पादित किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण—पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा :--

°मैं नाम	पुत्र			F	ावासी	
	जिला				स्वीव	गर
करता हूँ कि(नाम पेंशन	पाने वा	ले का)	को जो	राज्य	सरकार	से
पेंशन स्वीकृत होगी मैं उसका पालन पोषण करूँग	T1"					
दिनांक						

हस्ताक्षर संरक्षक

- (v) नियमित पेंशन राशि का भुगतान कोषाधिकारी और उप—कोषाधिकारी यथासंभव प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक करेगे तथा पेंशन का प्रथम भुगतान ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त होने के 4 कार्य दिवस में किया जायेगा।
- (vi) यदि पेंशनर निरक्षर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को, प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर पेंशनर के अंगूठे के निशान लगवाए जाएंगे।

(अखिल अरीरा) प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट 'क'

- सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन लेखा संख्या का आवंटन :--
 - ये अनुदेश, लेखा प्रकिया निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन के भुगतान से संबंधित है, जिनका कोषाधिकारी और उप-कोषाधिकारी को अनुसरण करना चाहिये।
 - (ii) किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पेंशन स्वीकृति अधिकारी एवं ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी रिजस्टर कृषक पेंशन— IV (K.P.- IV) में पेंशनर की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा तथा राज्य एवं जिले के नाम के संक्षिप्ताक्षर के पहले मार्गदर्शी (गाइड) स्वरूप लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन लेखा संख्या लगाते हुए "एस एण्ड एम ओ.ए.पी." मार्गदर्शी अक्षर अंकित करेगा।
- (iii) कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवितरण का अभिलेख रिजस्टर कृषक पेंशन—VII (K.P.-VII) में संधारित किया जायेगा।

मनीआर्डर या बैंक / पोस्ट आफिस बचत खाते द्वारा पेंशन का भुगतान :-

- (i) पेंशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक बचत खाते/पोस्ट आफिस के बचत खाते/ आधार कार्ड आधारित भुगतान अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पेंशनों की स्वीकृति इस कार्य हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन जारी की जाकर यथासम्भव भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस के बचत खाते के माध्यम से ही किया जावे।
- (ii) जहां पर लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन का भुगतान मनीऑर्डर द्वारा किया जाना हो, प्रत्येक पेंशनर के लिए मनीऑर्डर फार्म अलग से भरा जाएगा, और उस पर लाल स्याही में 'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन योजना' की रबर सील लगाई जाएगी। इसी प्रकार से मनीऑर्डर पावती कूपन पर भी लाल स्याही से 'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन योजना' की रबर सील लगाई जाएगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मनीऑर्डर फार्म में लिखा गया पता सही है। मनीऑर्डर रसीद के प्राप्त होने पर कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी के लघु हस्ताक्षरों सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के राजस्था पेंशन भुगतान के समुचित स्तम्म में प्रत्येक भुगतान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के आदेश की प्रविष्टि की जाएगी।
- (iii) (क) कोषाधिकारी / उप—कोषाधिकारी मनीऑर्डर द्वारा भेजी गयी पेंशन के लेखे के यथोवित रख—रखाव के लिये उत्तरदायी होंगे। वे समस्त प्रेषणों के लिये की गई प्राप्तिकर्ताओं की अमिस्वीकृतियों को देखेंगे और प्राप्ति के पश्चात् उनको कम से व्यवस्थित करेंगे, उन पर निरस्त करने की सील लगवायेंगे और रजिस्टर कृषक पेंशन—V (K.P.-V) में अमिलिखित करेंगे। यदि मनीआर्डर की अमिस्वीकृति रसीद 30 दिन तक भी प्राप्त नहीं होती है या पेंशन के भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो वह डाक प्राधिकारियों और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसकी जांच कराएगा। कपटपूर्ण भुगतान के मामले की जांच की जाएगी और उसकी रिपोर्ट कलेक्टर को की जाएगी। भुगतान नहीं हुए या डाक प्राधिकारियों द्वारा लौटाए गए मनीऑर्डरों की, रजिस्टर कृषक पेंशन—IX (K.P.- IX) में, प्रविष्टि की जाएगी। अवितरित राशि मास के संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस डेबिट से जमा करवाई जुम्येगी तथा उतनी ही राशि का प्रावधान सम्बन्धित मद में किया जाकर भुगतान किया जायेगा। अवितरित रकम का पश्चात्वर्ती भुगतान भली प्रकार जांच और सत्यापन के पश्चात्

किया जाना चाहिए और रजिस्टर कृषक पेंशन— IX (K.P.- IX) में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए।

(ख) कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी, कोषागार में मासिक लेखे की संबंधित अनुसूची के साथ या तो निम्नलिखित प्रमाण-पत्र यथास्थिति, सलंग्न या अमिलिखित करेगा :

"प्रमाणित किया जाता है कि सभी मामलों में गत मास के मनीआर्डरों की अभिस्वीकृतियां प्राप्त हो गई है और अवितरित लौटाए गए मनीआर्डरों की रकम संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस—डेबिट द्वारा कोषागार में वापिस प्रेषित कर दी गई है।"

(ग) मनीआर्डर के कमीशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के कारण व्यय सम्बन्धित पेंशन के लेखा शीर्षक पर भारित होगा।

(घ) कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी प्रतिमाह लौटकर आने वाले मनीऑर्डरों के लेखों का संधारण रिजस्टर कृषक पेंशन-VI (K.P.-VI) "मनीऑर्डर वापसी रिजस्टर" में करेंगे।

3. पेंशन के भुगतान के लिए बिलों द्वारा धन का आहरण :-

कोषागार / उपकोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेंशन का भुगतान चाहने वाले पेंशनरों को नकद में पेंशन के भुगतान हेतु अग्रिम आहरण के लिए उप-कोषाधिकारी / कोषाधिकारी संक्षिप्त बिल (एब्स्ट्रक्ट कॉन्टीजेन्ट बिल) के द्वारा रूपये आहरित करेगा।

- 4. पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरणः :- जब प्राप्तकर्ता द्वारा पते में परिवर्तन की सूचना दी जाए तो उप-कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाएगी :-
 - (i) यदि नया पता उसी तहसील में हो तो उप-कोषाधिकारी रिजस्टर कृषक पेंशन—IV (K.P.- IV) के समुचित स्तम्भ में संशोधन करेगा और कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक सुधार के लिए नया पता सूचित करेगा। प्रत्येक ऐसे अवसर पर उप-कोषाधिकारी निराश्रित के अस्तित्व में बने रहने को सत्यापित करने और यह देखने के लिए कि क्या उसका लगातार पेंशन दिए जाने या नहीं दिए जाने की परिस्थितियां निर्धारित है, आवश्यक कदम उठाएगा।
 - (ii) यदि नया पता उसी जिले की किसी अन्य तहसील में हो तो उप-कोषाधिकारी जिले के कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करते हुए रजिस्टर कृषक पंशन—IV (K.P.- IV) में लाल स्याही से इस आशय की एक प्रविष्टि करेगा कि पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण सम्बन्धित उप-कोषाधिकारी को किया गया। वह उप-कोषाधिकारी, जिसे पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण किया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र में पेंशनर के अस्तित्व में बने रहने और लगातार पेंशन दिए जाने की परिस्थितियों के अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन का भुगतान प्रारम्भ करेगा।

(iii) उप-कोषागार से जिला कोषागार में और जिला कोषागार से उप-कोषागार में पेंशन भुगतान आदेश के अन्तरण के मामले में पैरा (ii) में अधिकथित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(iv) यदि पेंशनर अपने निवास के जिले से मिन्न कोषागार या उप कोषागार में पेंशन का भुगतान चाहे तो उस दशा में संबंधित उप—कोषाधिकारी अपने जिले के कोषाधिकारी के पास पेंशन भुगतान आदेश को भेजेगा जो कि राज्य के अन्य जिले के कोषाधिकारी को, जिससे कि वह पेंशन प्राप्त करना चाहे, उसके पेंशन संबंधी दस्तावेज भेजने की व्यवस्था करेगा। कोषाधिकारी /उप—कोषाधिकारी संबंधित रजिस्टरों में इस आशय का नोट लाल स्याही से लगाएगा। नया कोषाधिकारी नये पेंशन भुगतान आदेश की संख्या का आवंटन करेगा और इसके पश्चात् उप—कोषाधिकारी को, अपने क्षेत्र में पेंशनर का अस्तित्व में बने रहना और प्रेंशन स्वीकृति की परिस्थितियां बनी रहना अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश भेजेगा।

प्रारूप कृषक पेंशन—I (K.P.-I) का भाग I लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम

धर्म 4.

व्यवसाय

पूरा पता

2.

_	13 /4 11111 2 50 5			फोटो
	पेंशन का प्रकार आवेदक के निवास क्षेत्र का विवरण जिला	: :	लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन	
	तहसील / पंचायत समिति	:		
	ग्राम/वार्ड/कस्बा/शहर	:		
	विधानसभा क्षेत्र	:		
	लोकसभा क्षेत्र	:		
	आवेदक का नाम		□ परुष □ स्त्री	
	लिंग पिता या पति का नाम	:		
١.	धर्म	:	जात : जात :	
5.	व्यवसाय	:		
6.	पूरा पता	:		
7. 8. 9.	जन्म तिथि एवं आयु (क्रांबरन के तारीय को आयु) (जल्लीका आयु के बारे में प्रमान पत्र सारोग है/ नहीं है) पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प आवेदक द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलवाये गये बचत खाते का विवरण		पिनकोड	वर्ष \Bigg माह
10	(प) बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम एवं पता बचत खाता संख्या			3
	(iv) बी.पी.एल. मेम्बर आई.डी.)

12.	आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण औ उनकी आयु (क) पिता	₹ :	नाम : आयु :					
	(ख) माता	:	ा वर्ष					
	(ग) पुत्र	:	ा वर्ष					
	(घ) पौत्र	:	□ वर्ष					
	(ङ) पति ∕ पत्नी	:	वर्ष					
	टिप्पणी :	:	(i) केवल सुसंगत मदों को ही आयु सहित भरा जाय। विसंगत मदों को काट दिया जाय।					
			(ii) पुत्र के अन्तर्गत दत्तक पुत्र है लेकिन इसके अन्तर्गत सौतेला पुत्र नहीं है।					
13	(i) भामाशाह कार्ड कमांक	:						
	(ii) आधार कार्ड कमांक	:						
	(iii) मतदाता पहचान पत्र संख्या(iv) राशनकार्ड संख्या	:						
14.	श्रेणी	ŀ	☐ सामान्य, ☐ ओ.बी.सी., ☐ एस.सी., ☐ एस.टी., ☐ अल्प संख्यक					
15.	आवेदक के स्वयं के सम्पर्क नम्बर		मो ि । । । । । । । । । । । । । । । । । ।					
16.	आवेदक के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर	:	rì. (
	भो. धारक के आवेदक के साथ सम्बन्ध							
17.	मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ (क) मैं	पी.पी.	.ओ. संख्या के हारा					
	पेंशन/निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा हूँ/कर रही हूँ। (ख) मैंने पूर्व में वृद्घावस्था/विधवा/पित्यक्तता/निःशक्तजन पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है/नहीं किया है। (यदि पहले प्रस्तुत किया गया हो तो यह लिखें कि क्या वह ली है या अस्वीकृत कर दिया गया है)। (ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मैं राजस्थान में गत ७ वर्षों से स्थाई रूप से निवास कर रहा हूँ। (घ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम,							
	1999 (नेशनल ट्रस्ट एक्ट) के अन्तर्ग	त आ	मिभावक नियुक्ति पत्र संलग्न है। यां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।					
	स्थान :	П	आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर या दायें/बार्ये अगूंठे का निशान					
	संलग्न— उपरोक्तानुसार							

प्रारूप कृषक पेंशन-I (K.P.-I) का भाग II

आवेदक का भूमि धारण प्रमाण-पत्र

में		एतदद्वार	प्रमाणि	त करता,	/ करती	हूँ कि	मेरे ए	वं मेरे	परिवार	के	सदस्यों
द्वा	रा राजस्थान	के राज्य वे	समस्त	क्षेत्रों में	निम्न भूमि	धारण	ग की इ	हुई है	:-		

भूमिधारक का नाम	जिला, तहसील व राजस्व गांव का नाम	भूमि का खसरा नम्बर	मूमि हेक्टर में	सिंचित/असिंचित	विशेष विवरण

मेरे द्वारा सूचित उपर्युक्त समस्त विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर या दार्ये/बार्ये अगूठे का निशान

भूमि धारण प्रमाण-पत्र का सत्यापन

उपरोक्त आवेदक के भूमि धारण प्रमाण-पत्र का सत्यापन किया गया लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन योजना नियमों के अन्तर्गत भूमि धारक कृषक लघु/सीमान्त कृषक की श्रेणी में होना सत्यापित किया जाता है।

आवेदक की पात्रता की जांच उपरान्त मय आवेदक को लघु/सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा करता हूँ/नहीं करता हूँ।

तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रारूप कृषक पेंशन—I (K.P.-I) का भाग III जांच अधिकारी की रिपोर्ट

मैंने नियमों के अधीन अपेक्षित आवश्यक जांच कर ली है और आवेदन में वर्णित तथ्यों के सत्यापन का परिणाम निम्नानुसार है :--

	(संबंधित पर ✔ का	नि	त्रिशान लगायें)
1.	आयु	:	वर्ष 🔲 माह 🔲 तिथि
	(i) भौतिक सत्यापन के आधार पर आयु के प्रमाण	;	
	के सम्बन्ध में टिप्पणी		
	(ii) देखने पर अनुमानित आयु	×	ि वर्ष ि मान
	(iii) गाँव के जिम्मेदार व्यक्तियों, निकट सम्बन्धियों,		ा वर्ष । माह वर्ष । माह
	पटवारी, पंच आदि द्वारा बताई गई आयु	٠	44 416
2.	आय या आय का स्त्रोत	:	
			END COLD 100
	(i) क्या उसकी कोई पूर्व सम्पत्ति है, जैसे मकान,	:	☐ हाँ ☐ नहीं
	कृषि भूमि आदि?		
	(ii) क्या उसकी कृषि, किराये, कारोबार, व्यवसाय या नियोजन आदि से कोई नियमित आय होती है?	:	∐ हो ∐ नहीं
	(iii) अब तक उसके जीवन निर्वाह या उसकी		*** **** ****
	जीविका का स्त्रोत क्या रहा है?	•	
	onidad an Cald dal Cer e:		
	(iv) जांच के समय उसके नोटिस में लाई गई या अन्य सम्बन्धित सूचना या विशिष्टियां	:	
3.	आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण	:	
	(i) माता, पिता, पुत्र, पौत्र, पत्नी, पति का नाम, उनकी आयु और आय का स्त्रोत, नियुक्ति का विवरण	•	
	ong one one as that, 113,40 as 14465		
	(ii) अन्य सम्बन्धी जो जीविकोपार्जन के लिये सर्वथा	:	☐ हाँ ☐ नहीं
	असमर्थ हो गये हों, यदि हां, तो निर्योग्यताओं		
	का ब्यौरा दें।		
			11-11 11-11 11-11 11-11
4.	कोई पेंशन, मत्ते, अनुदान	:	
	क्या उसे कोई पेंशन, भत्ते, वित्तीय सहायता मिलती	:	☐ हाँ [:] ☐ नहीं
	है? यदि हां, तो पेंशन राशि, भत्ते आदि का पूर्ण ब्यौरा और प्राप्ति का स्त्रोत और अन्य आवश्यक		
	विशिष्टियाँ लिखें।		
			1991 1991 1991

5.	कोई अन्य सूचना अ) (बी.पी.एल. सर्वे संख्या आदि)	:													
6.	जांच अधिकारी की सिफारिश आवेदक के परिवार के सदस्य को मृत्यु पर्यन्त तक अथवा लघु सीमान्त कृषक श्रेणी में रहने तक पेंशन स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है/नहीं की जाती है। मामले की अस्वीकृति के निम्न कारण है।	:													
	दिनांक : स्थान : प्रारूप कृषक पेंशन-1 स्वीकृतिकर्ता प्रार	(H)	C.P.	·I) 命	का आदे	भा			अधि	का	री व	के ह	स्ता	क्षर	
	पी.पी.ओ संख्या														
	(जो लागू नहीं हो उसे काट दें) विकास अधिकारी/उप खण्ड अधिकारी														

प्रारूप कृषक पेंशन—II (K.P.-II) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन के आवेदन पत्र का रजिस्टर

	पॅशन योजना का नाम जिला	:	लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन
1 2		:	
3.	लिंग पिता या पति का नाम	:	पुरुष स्त्री
5. 6.	धर्म व्यवसाय	:	जाति :
7.	पूरा पता	:	
	जन्म तिथि एवं आयु (आवेदन की तारीब को आयु) (उल्लेखित आयु के बारे में प्रमाण पत्र सलंग्न है/नहीं है) पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प	:	पिनकोड
10	आवेदक द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु वैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलवाये गये बचत खाते का विवरण (i) बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम एवं पता बचत खाता संख्या IFSC कोड/बैंक शाखा का कोड पहचान चिन्ह	:	
12.	बी.पी.एल. विवरण (i) बी.पी.एल. सर्वेक्षण वर्ष (ii) बी.पी.एल. का स्थान (iii) बी.पी.एल. कैमिली आई.डी. (iv) बी.पी.एल. मेम्बर आई.डी.	: : : : :	
13.	आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण और उनकी आयु	:	नाम आयु :
	(क) पिता (ख) माता (ग) पुत्र (घ) पौत्र (ङ) पति ∕ पत्नी	: :	atí de

	क्या संबंधी / संबंधियों के कोई आय अथवा : नियमित आय का कोई स्त्रोत है ?	[हाँ ं नहीं	
15.	(हाँ / नहीं) क्या कोई भी संबंधी लगातार लापता है? (हाँ / नहीं)] हाँ : नहीं नाम :	
16.	यदि ऐसा है तो विस्तृत वर्णन (नाम, आयु, तारीख जिससे लापता हो) क्या कोई सम्बन्धी जीविकोपार्जन के लिए		आयु	आयु :
	सर्वथा असमर्थ हो गया है (हाँ/नहीं), का विवरण ?		नाम :	ा वर्ष
	(क) पिता	:		वर्ष
	(ख) माता			वर्ष
	(ग) पुत्र (घ) पौत्र	:		वर्ष
	(ङ) पति / पत्नी	:		वर्ष
17.	(i) भामाशाह कार्ड कमांक	:		
	(ii) आधार कार्ड कमांक	:		
	(iii) मतदाता पहचान पत्र संख्या (iv) राशनकार्ड संख्या	:		
			🗌 सागान्य, 🔲 ओ.बी.सी., 📗 एस.सी., 📗 एस.टी., 🗀	अल्प संख्यक
18.	श्रेणी			
19.	आवेदक के स्वयं के सम्पर्क नम्बर	•	~	
20.	आवेदक के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर	:	गा	
21.	आवेदक के साथ सम्बन्ध पेंशनर के निवास के क्षेत्र का विवरण	:	ग्राम पंचा./वार्ड	नकाय जिला
22.	आवेदन प्राप्त होने की तारीख	:		
23.	जांच के लिये भिजवाने की तारीख	:		
24.	जांच अधिकारी के प्रतिवेदन की तारीख	:		
25.	०० ५ मध्य में भावेदन	:		
	भिजवाने की तारीख			
26	सिफारिश का सार	:		
27	. स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के आदेश और संदर्भ की संख्या एवं तारीख	:		
	त्तवन का राज्या हुन ताराज			
28	. टिप्पणियां	:		
	(पेंशन योजना क	ा र	जिस्टर तैयार किया जाना है)	

प्रारूप कृषक पेंशन—III (K.P.-III) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान का आदेश

	पॅशन स्वीकृति एवं भुगतान आदेश संख्या :		
	दिनांकः		
	पेंशन योजना : लघु एवं सीमान्त वृह्वजन क्	षक	. पें श न
1. 2. 3. 4. 5.	प्रतिमाह रू (अक्षरे रू स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण निम्नानु पेंशनर का नाम	491 	तारीख से मृत्युपर्यन्त या पेशन नियमों में पात्र रहने तक है :- पुरुष
7. 8. 9.	जन्म तिथि एवं आयु (आवेदन की तारीख को आयु) पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प पेंशनर द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलवाये गये बचत खाते का विवरण	:	पिनकोड 🗍 📗 📆
10. 11.	 (i) बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम एवं पता बचत खाता संख्या IFSC कोड/बैक शाखा का कोड पहचान चिन्ह बी.पी.एल. विवरण (i) बी.पी.एल. सर्वेक्षण वर्ष (ii) बी.पी.एल. का स्थान (ii) बी.पी.एल. फैमिली आई.डी. (iv) बी.पी.एल. मेम्बर आई.डी. 	: : : : : : :	1 2 3
12	(i) भामाशाह कार्ड कमांक	:	
	(ii) आधार कार्ड कमांक	:	
	(iii) मतदाता पहचान पत्र संख्या(iv) राशनकार्ड संख्या	:	
13.	श्रेणी	:	🗌 सामान्य, 🔲 ओ.बी.सी., 📗 एस.सी., 🔲 एस.टी., 🔲 अल्प संख्यक

14	पेंशनर के सम्बन्धियों का विवरण और	:	नाम :	आयु :
	उनकी आयु (क) पिता	ı		T वर्ष
	(ख) माता	:		
	(ग) पुत्र	:		
	(घ) पौत्र (क) प्रकार	:		वर्ष
15.	(ङ) पति / पत्नीपेंशनर के स्वयं के सम्पर्क नम्बर	:	*	वर्ष
16.	पेंशनर के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर	ì	η	
10.		•	41. [
17	आवेदक के साथ सम्बन्ध	E		
17.	पेंशन भुगतान प्राप्तकर्ता	:	श्री / श्रीमती (पेंशनर	
			य	,
		:	चूंकि श्री/श्रीमती निवा	ती
			ने निराश्रित पेंशनर श्री/श्रीमती	·····································
			भरण पोषण का जिम्मा लिया है, अतः श्री / को निराश्रित के पेंशन की पात्रता रख	श्रामता
			का भुगतान उस तिथि तक किया जाये उ	जब तक वह पेंशनर का
			भरण पोषण करता रहे।	
18.	पेंशनर द्वारा पहले से प्राप्त की जा रही पेंशन/ निर्वाह भत्ते का विवरण	:		
	विभाग का नाम व पता			
			पिनकोड 🔲 💮	
	प्रतिगाह प्राप्त की जा रही पेंशन/निर्वाह भत्ता की	:	रू (अक्षरे रू	1
	राशि (इस राशि को स्वीकृत पेंशन की राशि में से कम करके शेष राशि का भुगतान किया जाये)			
19.	पेंशनर के निवास के क्षेत्र का विवरण	:	ग्राम पंचा./वार्ड पंचा.समिति	/ नगर निकाय
			तह राहर राहर	जिला
			विधा.बेत्र mì	क.क्षेत्र
	कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी स्वीकृति आदेश	T 3		ान जारी करेगा। पेंशन
	भुगतान आदेश सम्बन्धित उप कोषाधिकारी के जायेगी।	ने व	मेजा जायेगा और उसकी सूचना पेंशनर को	रजिस्टर्ड डाक से भेजी
		ਟਿ	पूर्ण आधार पर या असत्य सचना के आधार	पर हुई है या पेंजनर
	यह ज्ञात होने पर कि पेंशन की स्वीकृति तु नियमों के अन्तर्गत अपात्र हो गया है, तो यह	आ	देश रदद किया जा सकेगा।	. 34 67 41 1411
	यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन एव	स्व	किति में दिये गये तथ्यों की भली–भांति जा	च कर ली गई है तथा
	आवेदक मेरे सामने उपस्थित हुआ या हुई, जि	सव	o फाटा स मिलान कर लिया गया है, जो स	हा है।
			उपखण्ड अधिकारी /	/ विकास अधिकारी
			के हस्ताह्मर एवं	
	स्थान :			
	दिनांक : 🔣 – 🔣 – 🔣			

	प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
1.	कोषाधिकारी / उपक्रोष्ट्रापिकारी
2.	श्री / श्रीमती
	पिनकोड 🔲 🔲
	उपखण्ड अधिकारी /विकास अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील
	नोट:- पेंशनर/प्राप्तकर्ता को किसी भी समय पते में हुआ परिवर्तन या पात्रता संबंधी अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन संबंधित

प्रारूप कृषक पेंशन—IV (K.P.-IV) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन भुगतान/भौतिक सत्यापन का रजिस्टर

	पेंशन योजना का नाम जिला कोष⁄ उप कोष	:	लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पॅशन
1. 2. 3.	पेंशन भुगतान आदेश की क्रम संख्या पेंशनर का नाम लिंग पिता या पति का नाम	:	
5.	धर्म व्यवसाय	:	जाति :
7.	पूरा पता	:	
			पिनकोड 🎞 🗔
8.	जन्म तिथि एवं आयु (अवेदन की तारीख को आयु) (उल्लेखित आयु के बारे में प्रमाण पत्र सलंग्न है/नहीं है)	:	— — आयु : <u>वर्ष</u> माह
9.	पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प	:	🔲 मनीऑर्डर 🔲 डाकघर बचत खाता 🔲 बैंक बचत खाता
10.	पेंशनर द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलवाये गये बचत खाते का विवरण	:	
	(i) बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम एवं पता	:	
	बचत खाता संख्या	:	
11. 12.	IFSC कोड / बैक शाखा का कोड पहचान चिन्ह बी.पी.एल. विवरण	:	1 3
	 (i) बी.पी.एल. सर्वेक्षण वर्ष (ii) बी.पी.एल. का स्थान (iii) बी.पी.एल. फैमिली आई.डी. 	:	
13.	(iv) बी.पी.एल. मेम्बर आई.डी. (i) भामाशाह कार्ड कमांक	:	
	(ii) आधार कार्ड कमांक	:	
	(iii) मतदाता पष्टचान पत्र संख्या (iv) राशनकार्ड संख्या	5	
4.	श्रेणी	:	🔲 सामान्य, 🔲 ओ.बी.सी., 🗌 एस.सी., 🔲 एस.टी., 🔲 अल्प संख्यक
15	पेंशनर के सम्बन्धियों का विवरण और उनकी आय	:	नामः आयु :

16.	(क) पिता (ख) माता (ग) पुत्र (घ) पौत्र (ङ) पति / पत्नी पेंशनर के स्वयं के सम्पर्क नम्बर	: : : : :	
17.	पेंशनर के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर	:	मो.
18.	आवेदक के साथ सम्बन्ध पेंशन भुगतान प्राप्तकर्ता	:	श्री / श्रीमती
		:	चूंकि श्री/श्रीमती
19.	पेंशनर के निवास के क्षेत्र का विवरण	:	ग्राम पंचा./वार्ड वार्ड पंचा.समिति तह तह
20.	पेंशनर द्वारा पहले से प्राप्त की जा रही पेंशन/ निर्वाह भत्ते का विवरण विभाग का नाम व पता	:	विधा क्षेत्र लोक क्षेत्र
21.	प्रतिमाह प्राप्त की जा रही पेंशन/निर्वाह भत्ता की राशि (इस राशि को स्वीकृत पेंशन की राशि में से कम करके शेष राशि का भुगतान किया जाये) पेंशन की राशि	:	पिनकोड
22.	पेंशन स्वीकृति की कालावधि से तक (लाल स्याही से मरा जाये)	:	तक
23.	कोषागार/उप कोषागार का नाम जहां	:	
24.	संदाय किया जाना है स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के आदेश की	:	MA
	संख्या और दिनांक		
25.	पेंशनर के अस्तित्व के सत्यापन की तारीख	:	
26.	पेंशन के समाप्त होने की तारीख	;	
27.	टिप्पणियां	:	
28.	प्रमारी अधिकारी के लघु हस्ताक्षर मय तारीख	3	

हस्ताक्षर.

प्रारूप कृषक पेंशन—V (K.P.-V) लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक मनीऑर्डर से पेंशन संदाय का अभिलेख

		(संबंधित पर ✓ का निशान लगायें)
		मनीऑर्डर की तारीख संदाय की तारीख
1.		वर्ष लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन : वर्ष
2.		पेंशन भुगतान आदेश संख्या :
3.		पेंशनर का नाम और पूरा पता :
		पिनकोड 🔲 💮
4.		पेंशन की राशि :
5.		पेंशन स्वीकृति की कालायधि से तक : 🔲 - 🗰 से 🔟 - 🔟 - तक
6.		प्राधिकारी (स्वीकृति की संख्या और तारीख) :
7.		प्रभारी अधिकारी के लघु हस्ताक्षर मय :
		तारीख
		हस्ताक्षर
8.		मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख
9.	जनवरी	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक :
10.		मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख :
11.	फरवरी	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक :
12.	मार्च	मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख :
13.	714	अगि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक :
4.	अप्रैल	मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख :
5.	ONCI	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक :
6.		मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख :
7.	मई	अमि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक :
8.		मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख :
9.	जून	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक : 🔲 – 🔲 – 🔲 –

20.		मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख	:	
21.	जुलाई	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक	:	
22.		भुगतान की तारीख मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख	:	
23.	अगस्त	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक	:	
24.		भुगतान की तारीख मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख	:	
25.	सितम्बर	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक	÷	
26.		भुगतान की तारीख मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख	Ė	
27.	अक्टूबर	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक	:	
28.		भुगतान की तारीख मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख	:	
29.	नवम्बर	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक	:	
30.		भुगतान की तारीख मनीऑर्डर रसीद की संख्या और तारीख	:	
31.	दिसम्बर	अभि. स्वीकृति के अनुसार वास्तविक		
32.		मुगतान की तारीख	:	
OL.		2.3		

,

प्रारूप कृषक पेंशन-VI (K.P.-VI) मनीऑर्डर वापसी रजिस्टर का प्रारूप

	पेंशन की श्रेणी नाम कोष/उप कोष	:	लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन
1. 2. 3.	क्रम संख्या बिल नम्बर व दिनांक राशि पी.पी.ओ. नम्बर		
5.	पेंशनर का नाम व पता	:	पिनकोड 🎞 🗔
7.	मनीऑर्डर संख्या माह राशि	:	
8. 9. 10.	प्राप्ति तिथि कारण		
11. 12. 13.		: :	चैक सं.
	कोषाध्यक्ष व्यक्तिशः उपस्थिति का दिनांक व हस्ताक्षर	: :	दि. 🔲 - 🗀 - 🖂 - 🤼
	गवाह	:	
18.	हस्ताक्षर		हस्ताक्षर
19.	पुनः प्रचलित एम.ओ.नम्बर व दिनांक हस्ताक्षर रोकडिया	:	एम.ओ दि. 🔟 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	कोषाध्यक्ष स्थान :	:	हस्ताक्षर
	दिनांक : 🔲-🔛-		

हस्ताक्षर रिपोर्ट करने वाले प्राधिकारी का पद, नाम

प्रारूप कृषक पेंशन—VI (K.P.-VI)

मनीऑर्डर वापसी रजिस्टर का प्रारूप

नाम : उपकोष / कोषालय	पेंशन	की	श्रेणी	;	
----------------------	-------	----	--------	---	--

19.4	। में, व दिनांक	all di	पी.पी.ओ. नम्बर	पैशन का प्रकार	का नाम व पता	मनीऔर्वर संख्या	7116	elle.	AIRS RIPE	Bitter	लंख्या व दिनांक	售	Betriare	क्रमाध्यक्ष	: सपरिवादि का	गवाह	हस्यासर	पुनः प्रवलित		
	भिल				पैकमर	#		_			da da				व्यक्तिसः			एम.ओ. नं. व दिनांक	हस्ताक्षर रोकडिया	कोषाध्यक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

प्रारूप कृषक पेंशन—VII (K.P.-VII) लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन के संवितरण के लेखे का विवरण

	जिला	ž									 						 	
	उप–कोषागार⁄कोषागार	:									 						 	
1.	क्रम संख्या	:							••••	*****	 		****	****	****	****	 ••••	٠
2.	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	;									 						 	
3.	पेंशनर का नाम और पूरा पता	:									 						 	
											 ••••						 	•
4.	यदि प्राप्तकर्ता पेंशनर से मिन्न हो तो				ोड [_	JL	1									
-	उसका नाम										 						 	
5.	माह जिसके लिये भुगतान होना है	:									 						 	
6.	पेंशन की राशि				*****													
			₹5.															
7.	मनीऑर्डर कमीशर की रकम	:	₹1,			*****	norte	*****		4	 							
8.	योग	:	₹5.		••••					Ÿ,	 							
9.	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम	:		••••		•					 	*****					 	
	* (> × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		_						_	_	 _	_			_			
10.	बँक/पोस्ट ऑफिस बचत खाता संख्या	:	\square				HL						П					

हस्ताक्षर

कोषाधिकारी / उप–कोषाधिकारी

प्रारूप कृषक पेंशन-VIII (K.P.-VIII) विक्षिप्त के संरक्षक द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंध-पत्र

सभी सम्बन्धित व्यक्ति अवगत हो कि मैं(क) (ख) पुत्र
जात
राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात सरकार कहा गया है और िस
अभिव्यक्ति में, जब तक सदर्भ द्वारा अपवर्जित या संदर्भ के विकट न हो उसके परोज्यन के
समनुदारात साम्मालत है) के प्रति इन विलेखों के द्वारा सरकार को अदा की जाने वाली कर
के सम्बन्ध में भली प्रकार एवं सम्यक् रूप से अदा किय जाने के लिये स्वयं को
अपने वारिसों को, निष्पादकों को, प्रशासकों को और विधि प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूँ।
दिनांक को मेरे द्वार हस्ताक्षरित
ं हरनामर
यतः (न्यायालय) द्वारा विकास किन
. (१) (६) के लिय संस्थाक के रूप में नियुक्त उपयेक्त आबद्ध व्यक्ति कि खे। ने उन्हें कि हो ने
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कषक पेशन नियम 2019 के अधीन विकास
अनुदर्त किय जीने के लिये की आवेदन किया है। यत: संपर्यक्त आहर व्यक्ति
(१ घ) के पशन अनुदत्त किये जाने के लिये उक्त (ग घ) के संस्था के उन्ह
म अपना नियुक्ति के लिय राजस्थान सामाजिक सरक्षा लघ एवं सीमान्त वटजन कृषक प्रेयन निरम
2019 के नियम 15 के उप—िनयम (iv) के अधीन
आर यतः उक्तं नियमा के अधीन पेशन अनुदत्त किया जाना उक्त
(क ख) क उक्त
लियं रू का बंध पत्र भरने के लिये सहमत हो गया है।
और यतः उक्त (क ख) उपरिवर्णित बंध-पत्र को भरने
के लियं सहमत हो गया है,
अतः अब ऊपर लिखे गये बंध-पत्र की शर्त यह है कि उक्त
ख) उक्त (ग घ) का नियमित रूप से भरण—पोषण करते हैं और करेंगे तथा पेंशन की
रकम उक्त(ग घ) के भरण-पोषण व अनुपोषण के लिये ही वास्तव में लगाएँगे तो
उपयुक्त बंध-पत्र शून्य हो जायेगा अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त रहेगा।
एतद्द्वारा यह और स्वीकार किया जाता है कि उक्त (क ख)(ग
ध) के जीवत भरण—पाषण व अनुपाषण के लिये पेंशन की रकम का उपयोग न होने से सरकार को
हुई हानि की वूसली हेतु किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना सरकार
को यह छूट होगी कि इस बंध-पत्र के अधीन संदेय रकम को भू-राजस्व की बकाया की भांति
वसूल किया जा सके।
इसके साक्ष्य में ('क' ख') ने दिनांक को
अपने हस्ताक्षर किये।
उपर्युक्त नाम वाले श्री('क' 'ख') द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित और परिदत्त :
(1)

प्रारूप कृषक पेंशन—IX (K.P.-IX) अवितरित पेंशन का रजिस्टर

उप–कोषागार,	/कोषागार	 वर्ष	
/		 77	***************************************

कम संख्या	माह	पेंशनर का नाम और पूरा पता	पेंशन की रकम	मनीऑर्डर की रसीद संख्या/ डीडी/बीसी संख्या
1	2	2	4	5
पेंशन राशि/मनीऑर्डर को लौटाने का कारण	क्या प्रतिदाय अपर्याप्त आहरण केडिट के कारण हुआ है? यदि हां, तो, प्रतिदाय का पूरा ब्यौरा दें	माह जिसमें, बाद में भुगतान किया गया	मनीऑर्डर रसीद संख्या	टिप्पणियां
6	7	8	9	10

राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1. अमोडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर 16435-447 क्रमांक: एफ 09 (05)(12-III)/सासुपेंनियम/सान्याअवि/2018-19/ जयपुर दिनांक 2>)3 [] 9

जिला कलेक्टर (समस्त)

विषय-राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 14385 दिनांक 23.2.2019 के द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 जारी किए जाकर दिनांक 1.3.2019 से लागू किए गए है। उक्त योजना के नियम 2 के उप नियम (ii) और (iii) में लघु एवं सीमान्त कृषको से अभिप्रायः राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार माना है।

उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि लघु एवं सीमान्त कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत जारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः एफ 13 (10) खा.वि/खा.सु.अ/2013 दिनांक 31.08.2013 के अनुरूप होगी।

सुलभ सन्दर्भ हेतु परिभाषा पुनः प्रस्तुत (reproduce) की जा रही है:-

क्र. स.	जिले	लघु कृषक		सीमान्त कृषक	
		सिंचित भूमि (हैक्टे.)	असिंचित भूमि (हैक्टे)	सिंचित भूमि (हैक्टे.)	असिंचित भूमि (हैक्टे.)
1	एरिड क्षेत्र- जैसलमेर एवं बाड़मेर	1.50	10.00	0.75	5.00
2	एरिड क्षेत्र– बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू एवं जोधपुर	1.50	7.00	0.75	3.50
3	सेमी एरिड क्षेत्र— झुंझुंनू, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर एवं वांसवाड़ा	1.50	3.00	0.75	1.50
4	शेष जिलो में	1.00	2.00	0.50	1.00

अतः राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के नियम 2 के उप नियम (ii) और (iii) में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न-उक्तानुसार

भवदीय

(सांवर मल नुर्गा) निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजरथान जयपुर।

वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि,राजस्थान जयपुर।

विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि,राजस्थान जयपुर।

6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग / ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग / कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर।

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विमाग, राजस्थान, जयपुर।

- 9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 10. निजी सिचव, प्रमुख शासन सिचव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

11. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।

12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2/नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

14. निर्देशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

15. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।

16. समस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी |

17. समस्त उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी।

18. एसीपी (पेंशन) / एसीपी (कम्प्यूटर प्रशाखा) मुख्यालय।

19. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।

20. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशके पेंशन एवं पन्नाघाय

राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

क्रमांक:- एफ ९(०५)(१४) पेंशन पोर्टल / सा.न्या.अ.वि / २०१५-१६ / ६९५० - २०६२-

जयपुर,दिनांकः 10 2 2019

आदेश

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत ऐसी वृद्धावस्था महिला पेंशनर जिन्हें उनकी पात्रता के अनुसार लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना में विस्थापित किया गया, के पित की मृत्यु होने के कारण अगर वें विधवा पेंशन प्राप्त करना चाहती है, तो उनकी वैवाहिक स्थिति आयोजना विभाग के भामाशाह पोर्टल पर विधवा प्रदर्शित हो रही है, उनकी श्रेणी परिवर्तन हेतु भामाशाह पोर्टल से RAJSSP पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराये जाने पर ऐसी महिलाओं की लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना से विधवा पेंशन की श्रेणी में स्वतः ही परिवर्तन कर दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से पेंशनर को संशोधित/बढी हुई दरों से पेंशन का परिलाभ प्राप्त हो सकेगा।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लॉगिन पर परिवर्तित की गई श्रेणी के ऐसे समस्त पेंशनरों की सूची प्रदर्शित होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित पेंशनर का संशोधित पीपीओं का प्रिन्टआउट लेकर सम्बन्धित पेंशनर को भिजवाया जायेगा साथ ही परिवर्तित की गई श्रेणी का पीपीओं ऑनलाईन सम्बन्धित पेंशन भुगतानकर्ता अधिकारी कोषाधिकारी / जोषाधिकारी को

अग्रेषित करेगें।

प्रमुख शासन सचिव

प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।

 अनुख सायव, नामाय पुठा कर्मा ।
 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपर।

विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

राज.जयपुर।

उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।

प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।

 प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।

9. संभागीय आयुक्त (समस्त) / जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित

उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।

 मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।

11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग/वित्त (नियम) अनुभाग, शासन

सचिवालय राजस्थान जयपुर।

12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारीयों को सूचित करने हेतु।

13. संयुक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।

14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि RAJSSP पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। 15. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं

अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर। 16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

17. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर ई-मेल:adpension.sje@rajasthan.gov.in दूरमाष: 0141- 2740637

क्रमांकः एफ 09 (05)(12-111) सासुपे नियम/सान्याअवि/2018-19/ 2 9 95

जयपुर दिनांक 10 6 2020

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 के नियम — 2 से नियम — 15 तथा परिशिष्ट — "क" को निम्नानुसार संशोधित / प्रतिस्थापित किया जाता है:—

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019

(विद्यमान प्रावधान)

अध्याय 1

नियम-2. परिभाषाएं

- (x) "पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित कोष/उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी (पेंशन भुगतान अधिकारी)/उप कोषाधिकारी (सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी)/अभिप्रेत है।
- (xi) "जिला पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी" से सम्बन्धित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।
- (xii) "अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।

अध्याय — 3—लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक सम्मान पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया

नियम 4. आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रक्रिया :-

 आवेदक को किसी भी ई-मित्र कियोस्क / अटल सेवा केन्द्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID

(संशोधित प्रावधान)

अध्याय 1

नियम-2. परिभाषाएं

- (x) "पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी" से तात्पर्य निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर के अन्य प्राधिकारी से है।
- (xi) "जिला पेंशन स्वीकृति अधिकारी" से सम्बन्धित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।
- (xii) "अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कलेक्टर या उनका प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।

अध्याय — 3—लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक सम्मान पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया

नियम 4. आवेदन प्रस्तुत करने एवं पेंशन स्वीकृत करने की ऑन-लाइन प्रक्रिया

(i) आवेदक को किसी भी ई-मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र या स्वयं के SSO (Single Sign



के माध्यम से निर्धारित प्रारूप कृषक पेंशन-। (K.P.-I) में www.rajssp.raj.nic.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदक को प्रारूप कृषक पेंशन—। (K.P.-I) का भाग—II में भूमि धारण प्रमाण-पत्र देना होगा। भूमि धारण प्रमाण-पत्र का ऑनलाईन सत्यापन संबंधित तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा। आवेदक को भामाशाह कमांक एवं आधार क्रमांक उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड क्रमांक में अंकित आवेदक को व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण / वन टाईम पासवर्ड (OTP) के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा। आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किये जाने की सूचना आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड कराये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी।

- (ii) विहित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाईन आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी के स्तर पर रजिस्टर कृषक पेंशन—II (K.P.-II) के प्रारूप में रिपोर्ट ऑनलाईन सम्बन्धित जांच अधिकारी के लॉगिन—इन पर प्रदर्शित होगी।
- (iii) जांच अधिकारी उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये भूमि धारण प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों / सूचनाओं के आधार पर आवेदक की जन्म तिथि, आयु अधिवास, निवास स्थान एवं नियमों में वर्णित अन्य पात्रता की जांच करेगा। भूमि धारण प्रमाण–पत्र कृषक

On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप कृषक पेंशन—I (K.P.-I) में www.rajssp.raj.nic.in पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को प्रारूप कृषक पेंशन–I (K.P.-I) का भाग–II में भूमि धारण प्रमाण-पत्र देना होगा। भूमि धारण प्रमाण-पत्र का ऑन-लाइन सत्यापन संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। राजस्थान को क्रमांक / राजस्थान जन—आधार पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक को उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगा। राजस्थान जन-आधार एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण / वन टाइम पासवर्ड (OTP) के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जाएगा, इसके अतिरिक्त अन्य वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वैब पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा। आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किए जाने की सूचना आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड कराए गए मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जाएगी।

- (ii) विहित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑन—लाइन आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी के स्तर पर रिजस्टर कृषक पेंशन—॥ (K.P.-॥) के प्रारूप में रिपोर्ट ऑन—लाइन सम्बन्धित जांच अधिकारी के लॉग—इन पर प्रदर्शित होगी।
- (iii) जांच अधिकारी उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए भूमि धारण प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों/सूचनाओं के आधार पर आवेदक की जन्म तिथि, आयु अधिवास, निवास स्थान एवं नियमों में वर्णित अन्य पात्रता की जांच करेगा। भूमि धारण प्रमाण-पत्र कृषक पेंशन-। (K.P.-I) का



पेशन—I (K.P.-I) का भाग II का सत्यापन करने के साथ—साथ यह सुनिश्चित किया जायेगा की उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई आवेदन पत्र अस्वीकार ही किया गया था। जांच अधिकारी आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी सिफारिश प्रारूप कृषक पेंशन—I (K.P.-I) के भाग III के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषित करेगा।

(iv) जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन—पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा। जांचकर्ता अधिकारी को आवेदन अग्रेषण के 21 दिवस पश्चात एस.एम.एस द्वारा पेंशन प्रकरण जांच पूर्ण करने हेतु सूचित किया जायेगा तथा जांच अवधि समाप्त होने पर आवेदन स्वतः ही सत्यापित होकर स्वीकृत कर्ता अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा जिसकी पात्रता संबंधित समस्त जिम्मेदारी जांच अधिकारी की होगी।

भाग ॥ का सत्यापन करने के साथ—साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई आवेदन पत्र अस्वीकार ही किया गया था। जांच अधिकारी आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी सिफारिश प्रारूप कृषक पेंशन—। (K.P.-I) के भाग ॥ के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को वैब पोर्टल के माध्यम से ऑन—लाइन प्रेषित करेगा।

(iv) जांच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य आवेदन पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की अवधि के भीतर पूरा जाना आवश्यक अधिकारी / सत्यापनकर्ता अधिकारी को निर्धारित समयावधि-30 दिवस से 07 दिवस पूर्व राजस्थान जन-आधार सिस्टम से ई-संचार के माध्यम से एस.एम.एस.- "(....नाम...) का आवेदन क्रमांक (.....) की जांच अवधि दिनांक (.....) को समाप्त हो रही है, उसके बाद यह आवेदन स्वतः सत्यापित होकर अग्रेषित हो जाएगा, इसकी पूर्ण *जिम्मेदारी आपकी होगी"*– द्वारा सन्देश भिजवाया जाकर विलम्बित आवेदन पत्रों को सत्यापित / जांच किए जाने हेत् सूचित किया जाएगा। यदि जांच अधिकारी / सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित समयावधि (30 दिवस) में नियमानुसार वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसे लम्बित आवेदन पत्र स्वतः ही जांच अधिकारी द्वारा "जांच किया गया"/"सत्यापित किया गया" माना जाकर raissp पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित स्वीकतकर्ता अधिकारी को स्वतः अग्रेषित हो जाएगा। ऐसे स्वतः अग्रेषित प्रकरणों में यदि किन्ही अपात्र व्यक्तियों का आवेदन पत्र सत्यापित/जांच हो जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है तो ऐसे पेंशन स्वीकृत किए जाने एवं भुगतान के प्रकरणों के लिए सम्बन्धित जांच अधिकारी / सत्यापनकर्ता अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। स्वतः अग्रेषित आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी को पृथक से प्रदर्शित होगे।



(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति सम्बन्धी अनुमोदन प्रारूप कृषक पेंशन-। (K.P.-I) का भाग-IV में जारी कर प्रारूप कृषक पेंशन-III (K.P.-III) में पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान आदेश जारी करेगा। यह पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान का आदेश वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन डिजीटल हस्ताक्षर अथवा आधार आधारित ई-हस्ताक्षर द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी किये जायेगे। पेंशन दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर में आवेदक को उनके रजिस्टर्ड मोबाईल पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति आदेश जारी किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक को पेंशन की स्वीकृति नियमानुसार ही जारी की गई है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति जारी करने हेतु यूजर लॉगिन या पासवर्ड का स्वयं उपयोग किया जायेगा तथा पासवर्ड किसी के साथ साझा नही किया जायेगा। यदि यूजर लॉगिन या पासवर्ड का द्रूपयोग होता है तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा। पेंशनर एवं जांच अधिकारी को जारी की जाने वाली हार्डकॉपी ऑनलाईन जारी स्वीकृति के अनुरूप होनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही होना चाहिए। ऑनलाईन जारी स्वीकृति के आदेशों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का है।

पेंशन दावा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से सम्बन्धित कार्य 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना होगा। (v) ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति सम्बन्धी अनुमोदन प्रारूप कृषक पेंशन—I (K.P.-I) का भाग—IV में जारी कर प्रारूप कृषक पेंशन-III (K.P.-III) में पेंशन स्वीकृति एवं भूगतान आदेश जारी करेगा। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति के आदेश डिजीटल हस्ताक्षर अथवा आधार आधारित ई–हस्ताक्षर द्वारा इस हेत् बनाए गए आहरण एवं वितरण अधिकारी के नाम जारी किए जाएगे। पेंशन दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर से आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाईल पर एस.एम. एस. (SMS) द्वारा सूचना प्रेषित की जाएगी। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑन-लाइन स्वीकृति आदेश जारी किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक को पेंशन की स्वीकृति नियमानुसार ही जारी की गई है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑन-लाइन स्वीकृति जारी करने हेत् यूजर लॉग–इन या पासवर्ड का स्वयं उपयोग किया जाएगा तथा पासवर्ड किसी के साथ शेयर नही किया जाएगा। यदि युजर लॉग-इन या पासवर्ड का दुरूपयोग होता है तो पेंशन रवीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं उत्तरदाई होगा। पेंशनर एवं जांच अधिकारी को जारी की जाने वाली हार्डकॉपी ऑन-लाइन जारी स्वीकृति के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही होना चाहिए। ऑन-लाइन जारी स्वीकृति के आदेशों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का है।

पेंशन दावा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से सम्बन्धित कार्य 15 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी को निर्धारित समयावधि 15 दिवस से 07 दिवस पूर्व एसएमएस— "(...नाम....) का आवेदन क्रमांक (..................) की स्वीकृत अवधि दिनांक (................) को समाप्त हो रही है, उसके बाद यह आवेदन पत्र स्वतः ही स्वीकृत होकर भुगतान कार्यवाही हेतू



अग्रेषित हो जाएगा, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी"- द्वारा संदेश भिजवाया जाकर विलम्बित आवेदन पत्रों को नियमानुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाने हेत् अवगत करवाया जाएगा। यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित समयावधि (15 दिवस) में नियमानुसार वांछित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसे लम्बित आवेदन पत्र स्वतः ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किए गए/स्वीकृत किए गए, माना जाकर raissp पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को पेंशन भूगतान की कार्रवाई हेत् अग्रेषित हो जाएगा। ऐसे स्वतः ऑन–लाइन जारी स्वीकृति के अग्रेषित प्रकरणों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का ही होगा। स्वतः स्वीकृत आवेदन पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी को पृथक से प्रदर्शित होगे।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर सत्यापित / स्वीकृत हुए आवेदन पत्र के अनुसार भुगतान किए गए पेंशन प्रकरणों की पोस्ट-ऑडिट / सत्यापन हेत् 60 दिवस का समय स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) को प्रदत किया जाता है। इस अवधि में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापित / स्वीकृत अग्रेषित होकर निस्तारित पेंशन भूगतान के प्रकरणों की जांच एवं जांच में भूगतान गलत / अनियमित पाए जाने पर ऐसे पेंशन प्रकरणों को निरस्त करते हुए, इन प्रकरणों में किए गए गलत भुगतान के संबंध में संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनियमित भूगतान की गई राशि की वसूली ऐसे अपात्र लाभार्थी से किए जाने की कार्रवाई की जा सकेगी।

(vi) ऑन—लाइन पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जाएगा। ऑन—लाइन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। पेंशन भुगतान आदेश जारी किए जाने एवं पेंशनर को पेंशन

(vi) ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने एवं पेंशनर को पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कार्य 30 दिवस



की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना होगा।

जांच अधिकारी, स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित समयाविध में कार्य पूर्ण नही किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम—2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।

भुगतान से सम्बन्धित कार्य 30 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

पेंशन स्वीकृत :--

- (i) (अ) किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावगुण के आधार पर देय होगी। जिन प्रकरणों में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को पेंशन स्वीकृति हेतु उचित नहीं मानता है उसमें अस्वीकृति का कारण अभिलिखित करते हुये आवेदन अस्वीकृत करना होगा।
 - (ब) स्वीकृतिकर्ता अधिकारी शिकायत की जांच के दौरान अथवा भौतिक सत्यापन के दौरान अथवा स्वप्रेरणा से जांच के दौरान यह पाता है कि यदि कोई पेंशनर नियमानुसार पेंशन हेतु अपात्र है तो वह पेंशन अपात्रता का कारण अभिलिखित करते हुये पेंशन निरस्तीकरण आदेश प्रारूप कृषक पेंशन—I (K.P.-I) के भाग IV में जारी करेगा। उक्त निरस्तीकरण का इन्द्राज ऑनलाईन पोर्टल पर भी तत्काल प्रभाव से किया जायेगा। यदि कोई पेंशनर, पेंशन निरस्तीरण आदेश से असन्तुष्ट है तो वह कभी भी पुनरीक्षण (Review) के लिए आवेदन कर सकता है।
 - (स) यदि बैंक खाते की सूचना के गलत अंकन के कारण किसी पेंशनर की पेंशन उसके खाते में जमा नहीं हो पाती है तो उसे अस्थाई रूप से रोका जाये। उसके बाद वह पेंशनर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी अथवा कोषाधिकारी के कार्यालय में जाकर अपने बैंक खाते की सूचना को अपडेट करवा सकता है उसके बाद प्नः

यथावत

यथावत

(स) यदि किसी पेंशनर के बैंक के नाम अथवा बैंक खाता संख्या अथवा उसके आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड में त्रुटि होने के कारण आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित पेंशन बिल में बैंक द्वारा पेंशन भुगतान लौटा दिया जाता है, तो पेंशन पोर्टल पर भुगतान वापसी की दशा में ऐसे पेंशनर को पेंशन का भुगतान उस पेंशनर द्वारा राजस्थान



उसकी पेंशन प्रारंभ कर दी जावे।

- (द) यदि ई—मित्र केन्द्र में भौतिक सत्यापन के दौरान ई—मित्र संचालक ऑनलाईन पोर्टल में कोई भी कारण अंकित करता है जिससे यह संदेह पैदा हो कि पेंशनर अपात्र है तो भी पेंशन अस्थाई तौर से बन्द की जावे व उसके बाद पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी 15 दिवस में जांच कर बहाली अथवा निरस्तीकरण का आदेश गुवावगुण के आधार पर जारी करेगा।
- (ii) सरकार आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन, विहित शर्तो को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन स्वीकृत कर सकेगी।

6. पेंशन की वैधता :-

- (i) नियमों में वर्णित लघु एवं सीमान्त कृषक की श्रेणी में रहने तक।
- 7. पेंशन का प्रारम्भ :— पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने की तारीख से सम्बन्धित माह की प्रथम तारीख से पूरे माह के लिये संदेय होगी।

8. पेंशन की समाप्ति :--

(i) पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन की अनाहरित रकम व्यपगत हो जाएगी। जन—आधार पोर्टल पर तत्सम्बन्धी सूचना अद्यतन (Updated) करवाने एवं इस अद्यतन (Updated) सूचना के आधार पर Rajssp पोर्टल पर सूचना स्वतः अद्यतन (Updated) होने के उपरान्त किया जाएगा।

यथावत

यथावत

यथावत

यथावत

8. पेंशन की समाप्ति :--

(i) पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन, जो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित नहीं की गई है, अथवा जिसका पेंशनर को भुगतान नहीं किया गया है, व्यपगत हो जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पेंशनर के मृत्यु की दिनांक तक की पेंशन राशि



(ii) पेंशनर के राजस्थान के बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, पेंशनर के राजस्थान लौटने पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की तारीख से पेंशन का पुनः संदाय प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की कालावधि के लिए प्रोद्भूत पेंशन की बकाया संदेय नहीं होगी।

(iii) लघु एव सीमान्त श्रेणी के कृषक पेंशनर की निर्धारित श्रेणी से अधिक भूमि होने पर अर्थात् कृषक की लघु एव सीमान्त श्रेणी के बाहर होने पर पेंशन बंद कर दी जायेगी।

9. पेंशन की बकाया का संदाय :--

(क) यदि पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरण—वितरण अधिकारी द्वारा आहरित नहीं की जाती है तो कोई बकाया संदेय नहीं होगा तथापि, ऐसे मामलों में पेंशन, सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये का भुगतान पेंशनर के विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा तथा मृत्यु की दिनांक के बाद की जमा पेंशन राशि बैंक द्वारा कोष कार्यालय को वापस लौटा दी जाएगी ताकि उनके द्वारा राजकोष में राशि जमा कराई जा सके।

(ii) पेंशनर के राजस्थान से बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त (बन्द) हो जाएगी। पेंशनर के राजस्थान लौटने पर सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसे पेंशनर्स का ऑन-लाइन भौतिक सत्यापन के उपरान्त उन पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन की तारीख से पेंशन का संदाय करने हेतु प्रकरण आहरण–वितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा तदुपरान्त भौतिक सत्यापन की तारीख से पुनः पेंशन का संदाय प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की अवधि के लिए प्रोद्भूत पेंशन की बकाया संदेय नहीं होगी।

यथावत

9. पेंशन की बकाया का संदाय :--

(क) यदि पेंशन की राशि तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक आहरित नहीं की जाती है तो पेंशन राशि की कोई बकाया का भुगतान संदेय नहीं होगा तथापि, ऐसे मामलों में सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशन संदाय आदेश का नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।

तीन वर्ष से अधिक की अवधि के पात्र पेंशन प्रकरण जिला कलक्टर द्वारा गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित कर स्पष्ट



सक्षम होगा।

- (ख) ऐसे मामलों में जहां पेंशन की रकम एक वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है वहां नियम 8 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारी बकाया के संदाय के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे :—
 - (1) यदि पेंशन की रकम 5 मास तक आहरित नहीं की
 - (2) यदि पेंशन की रकम 5 मास से अधिक किन्तु 1 कालावधि तक आहरित नहीं की जाये।

10.अपील अधिकारी :— स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर को की जाएगी। अपील स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की तिथि से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। तथापि, राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कलक्टर द्वारा पारित आदेश को गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित करते हुए पुनर्विलोकित कर सकेगा।

अनुशंषा के साथ प्रकरण निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित किए जाएगे जिन पर निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बकाया पेंशन राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां कृषक पेंशन की राशि तीन वर्ष तक की अवधि तक आहरित नहीं की जाती है, वहां नियम 8 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सम्बन्धित आहरण अधिकारी तीन वर्ष तक की अवधि की बकाया पेंशन राशि के संदाय के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे।

10.अपील अधिकारी :— स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) के द्वारा पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित जिला कलक्टर को की जाएगी। अपील स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की दिनांक से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। जिला कलक्टर द्वारा अपील में किए गए निर्णय को आवश्यक समझे जाने पर गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन (रिव्यू) का अधिकार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

11. वार्षिक सत्यापन :-

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च में ग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले कैम्पों में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार / ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण सूची

11. वार्षिक सत्यापन :-

कृषक पेंशन हेतु जीवन प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण में नई प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

 कृषक पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह दिसम्बर में 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से किया जाएगा।



के रूप में विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। परन्तु पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, पेंशनर की मृत्यु या अन्य किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। संदेय की स्थिति में पेंशन भूगतान अधिकारी पेंशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर कृषक पेंशन-IV (K.P.- IV) में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जावेगा।

- यदि किसी पेंशनर की पेंशन प्रथम बार इस अविध से तीन माह के भीतर स्वीकृत की गई है तो उसका वार्षिक भौतिक सत्यापन आगामी वर्ष 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से किया जाएगा।
- 3. समस्त पेंशनरों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला कलक्टर्स के द्वारा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रेस—विज्ञप्ति एवं प्रचार का उपयोग किया जाएगा तथा भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारियों के पास यदि पेंशनर्स के मोबाईल / फोन नम्बर उपलब्ध है तो उन्हें भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्रेषित की जाएगी।
- 4. पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोरक/राजीव गांधी सेवा केन्द्र/ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा।
- 5. अंगुली की छाप (Finger Print Impression) सत्यापन होने में कोई कितनाई आने पर पेंशनर के आधार/जनाधार में रिजिस्ट्रेट मोबाईल पर एकबारीय पॉसवर्ड (One time Password-OTP) के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
- 6. बिन्दु संख्या 02 एवं 03 में उल्लेखित दोनों प्रक्रियाओं में से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में कियोस्कधारक द्वारा उस पेंशनर की वेब केमरा से फोटो लेने के बाद उस पेंशनर के अप्रमाणित डेटा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को भिजवाया जाएगा। ऐसे मामलों में पेंशनर के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशनर की उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर डेटा प्रमाणित करेगा। इसके पश्चात उस पेंशनर की वार्षिक भौतिक सत्यापन की कार्यवाही को पूर्ण माना जाएगा और डेटा में भी चिन्हित किया जाएगा।
- उपर्युक्तानुसार वर्णित प्रक्रियाओं में से किसी भी



- प्रक्रिया के माध्यम से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह नवम्बर से माह दिसम्बर तक (31 दिसम्बर तक) (दो माह) की अविध में किया जाएगा।
- 8. यदि इस अवधि में (प्रति वर्ष माह नवम्बर—दिसम्बर में) किसी पेंशनर द्वारा जनाधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक्स अथवा एकबारीय पॉसवर्ड (One time Password-OTP) के माध्यम से लिया गया हो (यथा—राशन, चिकित्सा बीमा योजना आदि) तो ऐसे पेंशनर को पृथक से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यता नहीं है।
- 9. ऐसे पेंशनर जो अत्याधिक वृद्धावरथा, शारीरिक अस्वस्थता (Physical in Capicity) अथवा जानकारी के अभाव में निर्धारित अविध में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दायित्व होंगा की वार्षिक सत्यापन हेतु उक्त निर्धारित अविध (दो माह) के पश्चात अगले एक माह में ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी (Field Verification officer) के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाया जाएगा।
- 10. प्रति वर्ष दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। अतः क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) का दायित्व होंगा की वे निर्धारित अवधि में सभी पेंशनर का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करे। किसी भी पेंशनर के विद्यमान होने एवं पात्र होने के उपरान्त भी भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान रोके जाने की स्थिति में सम्बन्धित भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
- 11. उपर्युक्तानुसार भौतिक सत्यापन पश्चात जो पेंशनर पेंशन हेतु पात्र नहीं पाए जाए अथवा जिन पेंशनर की मृत्यु हो गई हो उनके नाम पेंशनर्स की ऑनलाईन सूची से हटाया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा की समस्त



- 12 पेंशनर की मृत्यु की सूचना :- पेंशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पटवारी/ ग्राम पंचायत / नगरपालिका प्राधिकारी, अथवा पोस्ट ऑफिस / बैंक द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी /उप-कोषाधिकारी को रिपोर्ट भिजवाई जायेगी, जिसमें पेंशनर का नाम, पता मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना प्राप्त कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी पंजिका कृषक पेंशन- IV (K.P.-IV) में लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा कि "श्री/श्रीमती--- पिता/पति ---की तारीख--मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त सूचना के आधार पर भूगतान बन्द किया गया''। कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी पेंशन बन्द करने के प्रत्येक मामले की सूचना स्वीकृतिकर्ता
- पात्र पेंशनर्स को निर्बाध रूप से निर्धारित अवधि में पेंशन राशि प्राप्त हो।
- 12. पेंशनर की मृत्यु की सूचना :— पेंशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पटवारी/ग्राम पंचायत/नगर निकाय के प्राधिकारी अथवा पोस्ट ऑफिस/बैंक सम्बन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) को रिपोर्ट मिजवाएगे, जिसमें पेंशनर का नाम, पता, पीपीओ संख्या मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना हो। यह सूचना प्राप्त होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से इसे ऑन—लाइन आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। सूचना का संधारण पोर्टल के माध्यम से अॉन—लाइन किया जाएगा।

13. कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :--

प्राधिकारी को भेजेगा।

- (i) जिला कोषागार का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर (जिला पेंशन एवं संवितरण अधिकारी) सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण तथा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगा।
- (ii) उप-कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन रिजस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेगा और अपने आपका समाधान करेगा कि उसके द्वारा स्वीकृत किये गये सभी मामले उप-कोषागार के रिजस्टरों में प्रविष्ट कर दिए गए है और भुगतान नियमित रूप से व यथा समय किए जाते है। वह अपने आपका इससे भी समाधान करेगा कि उप-कोषागार के रिजस्टरों में सुधार संबंधी

13. कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :--

- (i) जिले का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर नियमित रूप से अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगें। पेंशन भुगतान से संबंधित Tracking Reports एवं Exception Reports की प्रभावी मोनिटरिंग करेगें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित किया जाएगा।
- (ii) उप—कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमित भुगतान से संबंधित Tracking Reports एवं Exception Reports की प्रभावी मोनिटरिंग की जाएगी तथा पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान के संबंध में ध्यान में आने वाली किसी भी अनियमितता की सूचना तुरन्त जिला कलेक्टर एवं निदेशालय. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित की जाएगी।



प्रविष्टियां जैसे पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु या उसके पते में परिवर्तन, अविलम्ब की जाती है। निरीक्षण के समय पेंशन भुगतान की नमूना जांच भी करनी होगी।

14. सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक) :— उन व्यक्तियों को, जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्त्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वह वर्णित पेंशन या सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

यथावत

अध्याय — 4 सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

नियम 15.

(i) कोषाधिकारी और उप-कोषाधिकारी पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।

(ii) कोषाधिकारी या उप—कोषाधिकारी यथा स्थिति पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर द्वारा या बैंक / पोस्ट ऑफिस बचत खाते / सरकार द्वारा विहित अन्य

अध्याय — 4 कृषक पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

नियम 15

- E-Schemes हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में किए गए संशोधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान हेतु भी प्रभावी होगें।
- (i) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर के अन्य प्राधिकारी, पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।
- (ii) पेंशन भुगतान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर या बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते/सरकार द्वारा विहित अन्य



किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जाएगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।

(iii) स्वीकृत प्रकरणों में पेंशन सम्बन्धित माह के समाप्त होने के पश्चात पहली तारीख को देय होगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासंभव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से ऑनलाईन स्वीकृति की फोटोयुक्त प्रति लेकर सम्बन्धित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के सक्षम उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।

(iv) अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जायेगा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जाएगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।

(III) जिस माह में पेंशन स्वीकृत की जाती है, उसके स्वीकृत किए जाने के उपरान्त सम्बन्धित माह की पेंशन, माह के समाप्त होने के पश्चात आगामी माह की एक तारीख को देय होगी।

मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासंभव प्राप्त कर रखी जाएगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर द्वारा पेंशन स्वीकृति की प्रति लेकर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।

इसी प्रकार किसी पेंशनर के बैंक खाते की संख्या गलत अंकित होने अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से पेंशन राशि उसके बैंक खाते में जमा नहीं होने पर उस बैंक द्वारा पेंशन राशि को चैक द्वारा प्राधिकृत कोषालय को लौटाए जाने पर पेंशनर द्वारा पेंशन स्वींकृति की प्रति लेकर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

उक्त प्रकरणों में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी अपनी अभिशंषा के साथ पेंशन प्रारम्भ करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऑन—लाइन अग्रेषित करेगा।

(iv) अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जाएगा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित जिला कलेक्टर को देना



द्वारा विहित प्रारूप कृषक पेंशन—VIII (K.P.- VIII) में एक बंध—पत्र निष्पादित किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण—पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा:—

"मैं नाम	
पुत्र	निवासी
जिला	स्वीकार करता हॅ
कि(र	नाम पेंशन पाने वाले
का) को जो राज्य सरकार	
होगी मैं उसका पालन पोषण	करूँगा।"

दिनांक	हस्ताक्षर	संरक्षक

(v) नियमित पेंशन राशि का भुगतान कोषाधिकारी और उप—कोषाधिकारी यथासंभव प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक करेगे तथा पेंशन का प्रथम भुगतान ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त होने के 4 कार्य दिवस में किया जायेगा।

होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक
द्वारा निहित प्रारूप कृषक पेंशन-VIII (K.P
VIII) में एक बंध-पत्र निष्पादित किया जाएगा
कि वह आवेदक का भरण-पोषण करता रहेगा।
पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को
निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा :-
″मैं नाम
पुत्रनिवासी
जिला स्वीकार करता हूँ
कि(नाम पेंशन पाने
वाले का) को जो राज्य सरकार से पेंशन
स्वीकृत होगी, उस राशि से मैं उसका पालन
पोषण करूँगा।"
दिनांक हस्ताक्षर संरक्षक

(v) "नियमित पेंशन राशि का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यथासंभव प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक किया जाएगा।

जिन स्थानों पर अभी भी बिजनैस-कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) के माध्यम से 2-3 किलोमीटर में पेंशनर को बैकिंग सुविधा का कवरेज उपलब्ध नहीं है वहां जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (DLBC) में विचार-विमर्श कर बिजनैस-कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की नियुक्ति करवाई जाएगी।

जिला कलेक्टर्स द्वारा प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर निर्धारित तारीख पर संबंधित बैंको के प्रतिनिधि/बिजनैस-कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाकर पेंशन आहरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिससे पेंशनर्स अपनी सुविधानुसार अपनी पेंशन राशि को बैंक खाते से आहरित कर सकें।



- (vi) यदि पेंशनर निरक्षर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को, प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर पेंशनर के अंगूठे के निशान लगवाए जाएंगे।
- (vii) पेंशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब-किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में अन्तर्विष्ट है।

परिशिष्ट 'क'

1. सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन लेखा का आवंटन :-

- (i) ये अनुदेश, लेखा प्रक्रिया निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन के भूगतान से संबंधित है, जिनका कोषाधिकारी और उप-कोषाधिकारी को अनुसरण करना चाहिये।
- (ii) किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पेंशन स्वीकृति अधिकारी एवं ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी रजिस्टर कृषक पेंशन- IV (K.P.- IV) में पेंशनर की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा तथा राज्य एवं जिले के नाम के संक्षिप्ताक्षर के पहले मार्गदर्शी (गाइड) स्वरूप लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन लेखा संख्या लगाते हुए "एस एण्ड एम ओ.ए.पी." मार्गदर्शी अक्षर अंकित करेगा।
- (iii) कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवितरण का अभिलेख रजिस्टर कृषक पेंशन-VII (K.P.-VII) में संधारित किया
- 2. मनीआर्डर या बैंक / पोस्ट आफिस बचत खाते द्वारा 2. मनीआर्डर या बैंक / पोस्ट आफिस बचत खाते द्वारा भगतान :-

यथावत

यथावत

परिशिष्ट 'क'

- 1. सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन लेखा संख्या का आवंटन :-
 - (i) ये अनुदेश, लेखा प्रक्रिया निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन के भुगतान से संबंधित है, जिनका उपखण्ड अधिकारी / प्राधिकृत कोषाधिकारी को अनुसरण करना चाहिए।
 - (ii) किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पेंशन स्वीकृति अधिकारी एवं ऑन-लाइन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आहरण एवं वितरण अधिकारी रजिस्टर कृषक पेंशन- IV (K.P.- IV) में पेंशनर की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा तथा राज्य एवं जिले के नाम के संक्षिप्ताक्षर के पहले मार्गदर्शी (गाइड) स्वरूप लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन लेखा संख्या लगाते हए "एस एण्ड एम ओ.ए.पी." मार्गदर्शी अक्षर अंकित करेगा।
 - (iii) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन संवितरण का अभिलेख रजिस्टर कृषक पेंशन-VII (K.P.-VII) में संधारित किया



- (i) पेंशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक बचत का भुगतान :-खाते/पोस्ट आफिस के बचत खाते/ आधार कार्ड आधारित भुगतान अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पेंशनों की स्वीकृति इस कार्य हेत् तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन जारी की जाकर यथासम्भव भूगतान बैंक/पोस्ट आफिस के बचत खाते के माध्यम से ही किया जावे।
- (ii) जहां पर लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन का भुगतान मनीऑर्डर द्वारा किया जाना हो, प्रत्येक पेंशनर के लिए मनीऑर्डर फार्म अलग से भरा जाएगा, और उस पर लाल स्याही में 'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन योजना' की रबर सील लगाई जाएगी। इसी प्रकार से मनीऑर्डर पावती कूपन पर भी लाल स्याही से 'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन योजना की रबर सील लगाई जाएगी। यह भी स्निश्चित कर लिया जाए कि मनीऑर्डर फार्म में लिखा गया पता सही है। मनीऑर्डर रसीद के प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/ उप-कोषाधिकारी के लघु हस्ताक्षरों सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के रजिस्टर रजिस्टर कृषक पेंशन-V (K.P.-V) के समुचित स्तम्भ में प्रत्येक भूगतान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के आदेश की प्रविष्टि की जाएगी।
- (iii) (क) कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी मनीऑर्डर द्वारा भेजी गयी पेंशन के लेखे के यथोचित रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होंगे। वे समस्त प्रेषणों के लिये की गई प्राप्तिकर्ताओं की अभिस्वीकृतियों को देखेंगे और प्राप्ति के पश्चात उनको कम से व्यवस्थित करेंगे, उन पर निरस्त करने की सील लगवायेंगे और रजिस्टर कृषक पेंशन-V (K.P.-V) में अभिलिखित करेंगे। यदि मनीआर्डर की अभिस्वीकृति रसीद 30 दिन तक भी प्राप्त नहीं होती है या पेंशन के भूगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो वह डाक प्राधिकारियों और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसकी जांच कराएगा। कपटपूर्ण भुगतान के मामले की जांच की जाएगी और उसकी रिपोर्ट

- (i) पेंशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक बचत खाते/पोस्ट आफिस के बचत खाते/ आधार कार्ड आधारित भूगतान अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशनों की स्वीकृति इस कार्य हेत् तैयार किए गए सॉफ्टवेयर पर ऑन-लाइन जारी की जाकर यथासम्भव भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस के बचत खाते के माध्यम से ही किया जावे।
- (ii) जहां पर लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन का भ्गतान मनीऑर्डर द्वारा किया जाना हो, प्रत्येक पेंशनर के लिए मनीऑर्डर फार्म अलग से भरा जाएगा, और उस पर लाल स्याही में 'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन योजना' की रबर सील लगाई जाएगी। इसी प्रकार से मनीऑर्डर पावती कूपन पर भी लाल स्याही से 'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन योजना' की रबर सील लगाई जाएगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मनीऑर्डर फार्म में लिखा गया पता सही है। मनीऑर्डर रसीद के प्राप्त होने पर प्राधिकृत कोषाधिकारी के लघु हस्ताक्षरों सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के रजिस्टर कृषक पेंशन-V (K.P.-V) के समुचित स्तम्भ में प्रत्येक भुगतान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के आदेश की प्रविष्टि की जाएगी।
- (iii) (क) प्राधिकृत कोषाधिकारी मनीऑर्डर द्वारा भेजी गई पेंशन राशि के लेखों के यथोचित रख–रखाव के लिये उत्तरदाई होंगे। वे समस्त प्रेषणों के लिए की गई प्राप्तिकर्ताओं की अभिस्वीकृतियों को देखेंगे और प्राप्ति के पश्चात् उनको कम से व्यवस्थित करेंगे, उन पर निरस्त करने की सील लगवाएगे और रजिस्टर कृषक पेंशन–V (K.P.-V) में अभिलिखित करेंगे। यदि मनीआर्डर की अभिस्वीकृति रसीद 30 दिन तक भी प्राप्त नहीं होती है या पेंशन के भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो वह डाक प्राधिकारियों और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसकी जांच कराएगें।

साथ ही, कपटपूर्ण भुगतान के मामलों में



कलेक्टर को की जाएगी। भुगतान नहीं हुए या डाक प्राधिकारियों द्वारा लौटाए गए मनीऑर्डरों की, रिजस्टर कृषक पेंशन—IX (K.P.- IX) में, प्रविष्टि की जाएगी। अवितरित राशि मास के संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस डेबिट से जमा करवाई जायेगी तथा उतनी ही राशि का प्रावधान सम्बन्धित मद में किया जाकर भुगतान किया जायेगा। अवितरित रकम का पश्चात्वर्ती भुगतान भली प्रकार जांच और सत्यापन के पश्चात् किया जाना चाहिए और रिजस्टर कृषक पेंशन— IX (K.P.- IX) में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए।

(ख) कोषाधिकारी / उप–कोषाधिकारी, कोषागार में मासिक लेखे की संबंधित अनुसूची के साथ या तो निम्नलिखित प्रमाण–पत्र यथास्थिति, सलंग्न या अभिलिखित करेगा:

''प्रमाणित किया जाता है कि सभी मामलों में गत मास के मनीआर्डरों की अभिस्वीकृतियां प्राप्त हो गई है और अवितरित लौटाए गए मनीआर्डरों की रकम संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस—डेबिट द्वारा कोषागार में वापिस प्रेषित कर दी गई है।''

(ग) मनीआर्डर के कमीशन सहित सामाजिक

संबंधित जिला कलेक्टर उस जिले के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर द्वारा अन्य नामित प्राधिकारी के माध्यम से विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण की अविलम्ब जांच की जाकर जांच रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी तथा रिपोर्ट की एक प्रति निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित की जाएगी।

जांच के दौरान पेंशन योजना के लाभार्थियों को अधिक/अनियमित/दोहरा भुगतान पाए जाने की स्थिति में ऐसे भुगतान की समस्त राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित संबंधित लाभार्थियों से वसूल की जाएगी।

डाक प्राधिकारियों द्वारा पेंशन की भुगतान नहीं हुई राशि से संबंधित मनीऑर्डरों की राशि को लौटाए जाने एवं बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान नहीं हुई राशि से संबंधित बैंकर्स चैक के माध्यम से प्राधिकृत कोषाधिकारी को लौटाए जाने पर उनके द्वारा रजिस्टर कृषक पेंशन— IX (K.P.- IX) में प्रविष्टि की जाएगी। अवितरित राशि मास के संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस डेबिट जमा करवाई जाएगी तथा उतनी ही राशि का प्रावधान सम्बन्धित मद में किया जाकर भुगतान किया जाएगा। अवितरित रकम का पश्चात्वर्ती भुगतान भली प्रकार जांच और सत्यापन के पश्चात् किया जाना चाहिए और रजिस्टर कृषक पेंशन— IX (K.P.- IX) में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए।

(ख) प्राधिकृत कोषाधिकारी, कोषागार में मासिक लेखे की संबंधित अनुसूची के साथ या तो निम्नलिखित प्रमाण-पत्र यथास्थिति, सलंग्न या अभिलिखित करेगा :

"प्रमाणित किया जाता है कि सभी मामलों में गत मास के मनीआर्डरों की अभिस्वीकृतियां प्राप्त हो गई है और अवितरित लौटाए गए मनीआर्डरों की रकम संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस—डेबिट द्वारा कोषागार में वापिस प्रेषित कर दी गई है।"

(ग) मनीआर्डर के कमीशन सहित सामाजिक



सुरक्षा पेंशन के भुगतान के कारण व्यय सम्बन्धित पेंशन के लेखा शीर्षक पर भारित होगा।

- (घ) कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी प्रतिमाह लौटकर आने वाले मनीऑर्डरों के लेखों का संधारण रिजस्टर कृषक पेंशन—VI (K.P.-VI) "मनीऑर्डर वापसी रिजस्टर" में करेंगे।
- 3. पेंशन के भुगतान के लिए बिलों द्वारा धन का आहरण

कोषागार / उपकोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेंशन का भुगतान चाहने वाले पेंशनरों को नकद में पेंशन के भुगतान हेतु अग्रिम आहरण के लिए उप-कोषाधिकारी / कोषाधिकारी संक्षिप्त बिल (एब्स्ट्रक्ट कॉन्टीजेन्ट बिल) के द्वारा रूपये आहरित करेगा।

4. पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण: :-

जब प्राप्तकर्ता द्वारा पते में परिवर्तन की सूचना दी जाए तो उप—कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- (i) यदि नया पता उसी तहसील में हो तो उप—कोषाधिकारी रजिस्टर कृषक पेंशन—IV (K.P.- IV) के समुचित स्तम्भ में संशोधन करेगा और कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक सुधार के लिए नया पता सूचित करेगा। प्रत्येक ऐसे अवसर पर उप—कोषाधिकारी निराश्रित के अस्तित्व में बने रहने को सत्यापित करने और यह देखने के लिए कि क्या उसका लगातार पेंशन दिए जाने या नहीं दिए जाने की परिस्थितियां निर्धारित है, आवश्यक कदम उठाएगा।
- (ii) यदि नया पता उसी जिले की किसी अन्य तहसील में हो तो उप-कोषाधिकारी जिले के कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करते हुए रजिस्टर कृषक पेंशन-IV (K.P.- IV) में लाल स्याही से इस आशय की एक प्रविष्टि करेगा कि पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण सम्बन्धित उप-कोषाधिकारी को किया

सुरक्षा पेंशन के भुगतान के कारण व्यय सम्बन्धित पेंशन के लेखा शीर्षक पर भारित होगा।

- (घ) कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी प्रतिमाह लौटकर आने वाले मनीऑर्डरों के लेखों का संधारण रिजस्टर कृषक पेंशन—VI (K.P.-VI) "मनीऑर्डर वापसी रिजस्टर" में करेंगे।
- 3. पेंशन के भुगतान के लिए बिलों द्वारा धन का आहरण:-

विलोपित

4. पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरणः :--

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर्स द्वारा पत्ता में परिवर्तन किए जाने पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—

- (i) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर्स को निकटतम ई-मित्र कियोरक/राजीव गांधी सेवा केन्द्र के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण अपने निवास स्थान के नवीन पते पर किए जाने के लिए उसका विवरण प्रथम स्तर पर राजस्थान जन आधार पोर्टल पर पूर्व में दर्ज विवरण में अद्यतन (Update) कराया जाएगा। तत्पश्चात् राजस्थान जन आधार विवरण के आधार पर Rajssp पोर्टल पर डेटा स्वतः अद्यतन (Update) हो जाएगा।
- (ii) ई-मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र द्वारा पेंशनर्स के निवास स्थान का पता परिवर्तन करने के पश्चात् उक्त आवेदन-पत्र को पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑन-लाइन अग्रेषित किया जाएगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा निवास स्थान की जांच एवं सत्यापन की कार्रवाई कर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऐसे पेंशनर के नवीन



गया। वह उप-कोषाधिकारी, जिसे पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण किया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र में पेंशनर के अस्तित्व में बने रहने और लगातार पेंशन दिए जाने की परिस्थितयों के अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन का भुगतान प्रारम्भ करेगा।

- (iii) उप-कोषागार से जिला कोषागार में और जिला कोषागार से उप-कोषागार में पेंशन भुगतान आदेश के अन्तरण के मामले में पैरा (ii) में अधिकथित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
- (iv) यदि पेंशनर अपने निवास के जिले से भिन्न कोषागार या उप कोषागार में पेंशन का भूगतान चाहे तो उस दशा में संबंधित उप-कोषाधिकारी अपने जिले के कोषाधिकारी के पास पैंशन भूगतान आदेश को भेजेगा जो कि राज्य के अन्य जिले के कोषाधिकारी को. जिससे कि वह पेंशन प्राप्त करना चाहे, उसके पेंशन संबंधी दस्तावेज की व्यवस्था कोषाधिकारी / उप-कोषाधिकारी रजिस्टरों में इस आशय का नोट लाल स्याही से लगाएगा। नया कोषाधिकारी नये पेंशन भगतान आदेश की संख्या का आवंटन करेगा और इसके पश्चात् उप-कोषाधिकारी को, अपने क्षेत्र में पेंशनर का अस्तित्व में बने रहना और पेंशन स्वीकृति की परिस्थितियां बनी रहना अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए पेंशन भूगतान आदेश भेजेगा।

गया। वह उप-कोषाधिकारी, जिसे पेंशन भूगतान पते का विवरण ऑन-लाइन अग्रेषित किया जाएगा।

(iii) पेंशनर के निवास स्थान के परिवर्तन की सूचना उसे उसके रजिस्टर्ड मोबइल नंबर पर एसएमएस से भिजवाई जाएगी।

विलोपित

उक्त संशोधन / प्रतिस्थापन आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(अखिल अरोरा) प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :-एफ.९(०५)(12-III)सासुपें/पेशन नियम/सान्याअवि/2018-19/ 2996- 3646 जयपुर दिनांक 10/6/2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।

- 2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
- 3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयप्र।

वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेत्।
- 6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

7. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।

- संभागीय आयुक्त (समस्त) / जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
- निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारीयों को सूचित करने हेतु।

10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर।

11. अतिरिक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।

- 12. संयुक्त निदेशक (आई टी) / एसीपी (पेंशन) कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
- 13. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

14. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव